भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3753

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2017/3 चैत्र, 1939 (शक) को दिया गया)

<u>एंटी-कार्टेलाइजेशन</u>

3753. श्री असादुद्दीन ओवैसीः:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिल्डिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआई) ने कार्टेलाइजेशन के आरोपों पर सीमेंट फर्मों और सीमेंट विनिर्माण संघ (सीएमए) के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीजीआई) ने बीएआई द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीसीआई ने कुछ सीमेंट कम्पनियों को दोषी पाया है और उन पर शास्ति लगाई है;

(घ) यदि हां, तो इन गतिविधियों में संलिप्त पाई गई कम्पनियों के कम्पनी-वार नाम क्या हैं और सीसीआई द्वारा कितनी शास्ति लगाई गई है;

(ङ) क्या सभी कम्पनियों ने सीसीआई के निर्णय का पालन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ): जी, हां। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने भारतीय भवन निर्माता संघ (बीएआई) द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने यह पाया है कि सीमेंट कंपनियों ने सीमेंट विनिर्माण संघ (सीएमए) की मदद लेते हुए और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3(3)(क) और धारा 3(3)(ख) के साथ पठित धारा 3(1) के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए मूल्यों, क्षमता उपयोगिता, उत्पादन और प्रेषण संबंधी ब्यौरे साझा किए हैं और सीमेंट का मूल्य निर्धारित करने के लिए मिलकर कार्य किया है और ऐसा करके उत्पादन और आपूर्ति को प्रतिबंधित किया है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने दिनांक 31 अगस्त, 2016 के आदेश द्वारा सीमेंट कंपनियों और सीएमए पर निम्नलिखित शास्तियां लगाई हैं:-

एसीसी लि.	1147.59 करोड़ रुपये
अंबुजा सीमेंट लि.	1163.91 करोड़ रुपये
बिनानी सीमेंट लि.	167.32 करोड़ रुपये
सेन्चुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लि.	274.02 करोड़ रुपये
इंडिया सीमेंट लि.	187.48 करोड़ रुपये
जे के सीमेंट लि.	128.54 करोड़ रुपये
लाफार्ज इंडिया प्रा. लि.	490.01 करोड़ रुपये
रामको सीमेंट लि.	258.63 करोड़ रुपये

अल्ट्रा टेक सीमेंट लि.	1175.49 करोड़ रुपये
जयप्रकाश एसोसिएट्स लि.	1323.60 करोड़ रुपये
सीमेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन	0.73 करोड़ रुपये

(ङ) और (च): उपर्युक्त सीमेंट कंपनियों और सीएमए को आदेश की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर शास्ति जमा करने का निदेश दिया गया और इन कंपनियों ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश को प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण के समक्ष चुनौती दी है।

*****